प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.05.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनांक 13.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1.अर्पित उर्फ़ हैप्पी पुत्र पवन निवासी कृष्णा विहार भोपुरा कुटी थाना टीला मोड गाजियाबाद हाल पता शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 2. अन्नू पुत्र योगेन्द्र निवासी कृष्णा विहार थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 3. राशिद पुत्र उस्मान निवासी विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को बेहटा पुलिया थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद हुई। बरामद मोटर साइकिल में से एक मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना शाहदरा दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है व एक मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य एक मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों आपस में दोस्त है तथा हम तीनों ने ये मोटरसाइकिलें अलग अलग जगह से कुछ दिन पहले दिल्ली, गाजियाबाद व अन्य जगह से चोरी की थी। आज हम तीनों एक साथ इन मोटरसाइकिलों को बेचने के फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.अर्पित उर्फ़ हैप्पी पुत्र पवन निवासी कृष्णा विहार भोपुरा कुटी थाना टीला मोड गाजियाबाद हाल पता शिव वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

2.अन्नू पुत्र योगेन्द्र निवासी कृष्णा विहार थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

3.राशिद पुत्र उस्मान निवासी विकास कुंज थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिलें बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना जीटीबी इन्क्लेव दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर मोटरसाइकिल चोरी का 01

अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त अर्पित उर्फ़ हैप्पी पर पूर्व में थाना सीमापुरी दिल्ली पर छिनैती का 01 अभियोग व थाना दयालपुर दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अन्नू पर पूर्व का थाना सीमापुरी दिल्ली में छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर एटीएम कैश वैन डकैती के वांछित 01-01 लाख के ईनामी अपराधी जुबैर अहमद पुत्र हाजी तौसीन निवासी सेक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद व समीर पुत्र मौहम्मद सलीम निवासी सेक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद पुलिस मुठभेड में ढेर।

- दिनांक 06.05.2026 को एनएच-9 पर स्थित एच0पी0 पैट्रोल पम्प के सामने से अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर कैशवैन को कैश सहित लूट लेने की घटना कारित की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर मु0अ0स0 94/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान कुल 27 लाख रुपये कैशवैन में लूट के दौरान होना पाया गया है।
- दिनांक 11.05.2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा व थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र सलीम निवासी डी-134, सेक्टर-11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर गाजियाबाद व मौहम्मद रिजवान पुत्र मौहम्मद आंसू निवासी सी-25, वार्ड नं0 8, माता कालोनी, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी धनराशि में से 08 लाख 06 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त बलेनो कार व तमंचा व कारतूस एवं एक कुल्हाड़ी बरामद की गयी थी।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उक्त घटना में वांछित अन्य अभियुक्तगण पर 01 लाख रूपये का पुरूस्कार भी घोषित किया गया है।

घटना क्रम (दिनांक 12.05.2026)

आज दिनांक 12.05.2026 को स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण आज वेवसिटी थाना क्षेत्र में सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार में देखे गये हैं। इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्तगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके कन्ट्रोल रूम के माध्यम से वेवसिटी व आस-पास के थाना क्षेत्रों में स्विफ्ट कार की चैंकिग प्रारम्भ करायी गयी तथा स्वाट टीम व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा डासना रोड़ पर नाले के आस-पास घेराबन्दी की गयी। समय करीबः 9.45 PM बजे नायफल रोड़ से एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। टॉर्च व गाडी की रोशनी में चेतावनी देते हुए स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया गया परन्तु कार सवार बदमाशों द्वारा गाडी को रोकने के बजाय पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर करते हुए नाले के किनारे पटरी मार्ग पर गाड़ी बढ़ा दिये। उक्त स्विफ्ट कार का पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। थोड़ा आगे जाने पर उक्त कार अनियन्त्रित होकर खेत में उतर गयी। इसके बाद बदमाशों द्वारा गाडी से उतरकर पुलिस टीम पर सीधे फायर किये गये। उक्त फायरिंग में स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत व थाना प्रभारी वेव सिटी मानवेन्द्र सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी तथा अन्य तीन पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गये। अन्य कोई विकल्प न बचने पर पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर गये। इनके गिरते ही अन्य बदमाश वहां से फरार हो गये जिनकी कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश के पास जाकर देखने पर बरामद आधार कार्ड से बदमाशों की पहचान जुबैर अहमद पुत्र हाजी तौशीन निवासी

एच नं-ई-14, विभाग-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद व समीर खान पुत्र मो0 सलीम निवासी जी-120, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद हुईए जिसे उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया, जहॉ उपचार के दौरान घायल दोनों बदमाशों की मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरणः-

1. 09 लाख 10150 रूपये नगद।
2. 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बर।
3. 02 अदद पिस्टल .32 बोर।
4. 02 अदद तमंचा .315 बोर।
5. 12 अदद खोखा कारतूस .32 बोर।
6. 05 अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
7. 05 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
8. 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
9. 03 अदद बैग, जिसमें अभियुक्तगण के कपडें, आधार कार्ड की छायाप्रति इत्यादि सामान।
10. सी0सी0टी0वी0 का डी0वी0आर0

घायल पुलिसकर्मी –

1. उ0नि0 आशीष कुमार सिंह,
2. मुख्य आरक्षी संदीप कुमार,
3. मुख्य आरक्षी तरूण कुमार

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम-

1. स्वाट टीम अपराध शाखा
2. श्री कुलदीप दीक्षित, प्रभारी निरीक्षक सिहानीगेट मय टीम
3. उपनिरीक्षक मानवेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी वेवसिटी मय टीम

उपरोक्त मुठभेड के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री विजय कुमार तत्कालीन थाना लोनी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के

परिणाम स्वरूप थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-363/366/376 भादवि 4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त बंटी उर्फ प्रेम किरन पुत्र ओमप्रकाश कश्यप निवासी भारत सिटी सिल्वर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 13.05.2026 को धारा-376(2) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 22.11.2014 को थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सतीश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**आरक्षी प्रताप सिंह** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 शाहिद** पैरोकार थाना लोनी